भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4028

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2026 को दिया जाना है

कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी में देरी

4028. **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2025) के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करने में औसतन 15-18 महीने और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के लिए लगभग 26 महीने का समय लगता है, जबकि वन संबंधी मंजूरी प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 24-30 महीने और वाणिज्यिक ब्लॉकों के लिए 34 महीने तक का समय लगता है;

(ख) इस प्रकार की देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों के अनुरूप कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार लाने, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मंजूरी की समय-सीमा को कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) और (ख) : पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) और वन स्वीकृति (एफसी) प्रदान करने में लगने वाला समय अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अलग-अलग होता है और यह कई स्थल-विशिष्ट और सांविधिक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें परियोजना का स्थान, शामिल भूमि का प्रकार और सीमा (वन/गैर-वन), वनावरण की श्रेणी और घनत्व, वन्यजीव प्रवास की मौजूदगी, सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता, अनुपालन स्थिति, अपेक्षित अध्ययन प्रस्तुत करना और क्षेत्र की समग्र पर्यावरणीय संवेदनशीलता शामिल हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के बीच औसत समय-सीमा में देखी गई भिन्नता मूल्यांकन तंत्र में किसी भेद-भावपूर्ण व्यवहार के बजाय ऐसे परियोजना-विशिष्ट वजहों के कारण होती है। वन स्वीकृति के मामले में, कुछ संरचनात्मक अंतर भी भिन्नताओं का कारण बन सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक विशेष प्रावधान सीपीएसयू (राज्य पीएसयू के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों सहित) को अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करने की अनुमति देता है, जो कि डायवर्ट किए जा रहे वन क्षेत्र की सीमा से दोगुना है। यह लचीलापन निजी क्षेत्र के प्रस्तावकों को नहीं दिया जाता है, जिन्हें समकक्ष गैर-वन भूमि की पहचान करने और अधिग्रहण करने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे समयसीमा बढ़ सकती है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि ईसी और एफसी के प्रस्तावों का मूल्यांकन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सांविधिक ढांचे के अनुसार किया जाता है ताकि तत्परता और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) : सरकार ने अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मंजूरी की समयसीमा को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

(1) समन्वय और निगरानी को मजबूत करना

- बाधाओं का समाधान करने के लिए एमओईएफएंडसीसी, राज्य सरकारों और परियोजना प्रस्तावकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करना
- प्रस्तावकों की सहायता करने और ईडीएस/एडीएस प्रश्नों का निराकरण करने के लिए एक हेल्प डेस्क के रूप में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना।
- भूमि की उपलब्धता, अभिलेखों के डीजीटाइजेशन और समय पर मंजूरीयां जारी करने जैसे मुद्दों के लिए राज्यों के साथ निरंतर बातचीत करना।

(2) प्रक्रिया सरलीकरण और नीतिगत सुधार (ईसी)

i. नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता के बिना 50% तक क्षमता विस्तार की अनुमति देने के लिए प्रावधानों की शुरूआत।
ii. मानकीकृत टीओआर की शुरुआत के साथ-साथ शीघ्रता से अनुमोदन के लिए बिना बारी के यूजी खनन की सुविधा प्रदान करना।
iii. 'यूसीजी की प्रायोगिक परियोजनाओं' को ईसी की आवश्यकता से छूट की अनुमति देना।

iv. 500 हेक्टेयर से कम की कोयला खनन परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए विकेन्द्रीकरण करते हुए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

v. पर्यावरण मंजूरी (ईसी) अनुमोदन के साथ स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) का एकीकरण।

(3) प्रक्रिया सरलीकरण और नीतिगत सुधार (एफसी)

i. आरक्षित वन के रूप में सीए/एसीए भूमि की अधिसूचना के बिना चरण-II एफसी जारी करने का प्रावधान।

ii. केन्द्रीय पीएसयू और राज्य पीएसयू के केप्टिव कोयला ब्लॉकों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) के रूप में गैर-वन भूमि के बदले, डायवर्ट की जा रही वन भूमि की दोगुनी मात्रा के बराबर की अवक्रमित वन भूमि (डीडीएफएल) की अनुमति देने के विकल्प को फिर से शुरू करना।

iii. एनपीवी या सीए की आवश्यकता के बिना पिटिंग और ट्रेंचिंग सहित वन क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों की अनुमति देना। वन भूमि में अनुमत अन्वेषण कार्यकलापों के संचालन के लिए एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

iv. बेडेड स्ट्रैटिफॉर्म और टेबुलर डिपोजिट के लिए प्रति 10 वर्ग किमी में 62 बोरहोल (6 इंच व्यास तक) तक और लेंटिकुलर ओर बॉडीज के लिए प्रति 10 वर्ग किमी में 80 बोरहोल (6 इंच व्यास तक) तक, दोनों मामलों में अधिकतम 25 बोरहोल प्रति वर्ग किमी के अध्यधीन, वन क्षेत्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण की अनुमति देना।

v. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए वन मंजूरी की वैधता का विस्तार करना, जो इसे खनन पट्टे की वैधता के साथ को-टर्मिनस बनाता है।

vi. उपयोगकर्ता एजेंसियां रियल टाइम पर स्पष्टीकरणों को सक्षम बनाने और वन मंजूरी प्रस्तावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए वन सलाहकार समिति (एफएसी) की बैठकों में भाग ले सकती हैं।

सरकार पर्यावरण सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए समय पर अनुमोदन देना सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नीतिगत सुधारों, डिजिटल एकीकरण और बढ़े हुए अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से स्वीकृति इकोसिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*****